कार्यवृत्त

शनिवार, 17 फाल्गुन, शक संवत्, 1941
(दिनांक : 07 मार्च, 2020)

खण्ड–53

अंक–2

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, भराडीसैंण (गैरसैंण) में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष ने नियम–310 के अन्तर्गत प्रदेश में भूमि के सर्किल रेटों में वृद्धि किये जाने के संबंध में दी गई सूचना को नियम–58 में लिये जाने का आग्रह किया। श्री अध्यक्ष ने नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुनने का विनिश्चय दिया।

श्री मनोज रावत, माननीय सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि जो बजट साहित्य मिला है, उसमें बजट एक नजर नहीं मिला एवं जो पेन–ड्राइव मिली है उसमें आंकडों पर फ्लूड लगा है, जिससे पढ़ने में नही आ रहा है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री ने सचिव वित्त को निर्देशित किया कि वह त्रुटियों को ठीक कर दें।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम प्रेमराजपुर पोस्ट इकबालपुर में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण व चारदीवारी कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री शिव कुमार, पुत्र श्री अमन कुमार, ग्राम जहाजगढ़ पोस्ट इकबालपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम जहाजगढ़ (अमरपुर काजी) पोस्ट इकबालपुर में रविदास मंदिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध मे'' श्री अंकित, पुत्र श्री सुरेश चन्द, ग्राम जहाजगढ़ पोस्ट इकबालपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम अमरपुर पोस्ट इकबालपुर में कादरपुर से जहाजगढ़ तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सिद्धार्थ, पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह, ग्राम अमरपुर पोस्ट इकबालपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सठरेडी पोस्ट भगवानपुर में सठरेडी शाहजहॉपुर से बालेकी मैन रोड़ तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्री रामशरण, पुत्र श्री सन्तू, ग्राम सठरेडी शाहजहॉपुर पोस्ट भगवानपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम मोहितपुर पोस्ट भगवानपुर में अम्बेडकर पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द, पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, ग्राम

मोहितपुर पोस्ट भगवानपुर जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनायें स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयी।

1.	श्री गोपाल सिंह रावत	प्रदेश में कुछ साधन सहकारी समितियों के विलीनीकरण (मर्ज) किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
2.	श्री राजकुमार ठुकराल	जनपद उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में किच्छा रोड़ पर स्थित ट्रचिंग ग्राउण्ड (कूड़ाघर) को हटाये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3.	श्रीमती ममता राकेश	प्रदेश में निवासरत दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत बने गोल्डन कार्ड का लाभ नहीं मिल पाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
5.	श्री पूरण सिंह फर्त्याल	जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी के पी0एच0सी0 हॉस्पिटल को बी0 ग्रेड से ए0 ग्रेड में किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
6.	श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	जनपद बागेश्वर के विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत पण्डित दीन दयाल उपाध्याय विद्युतीकरण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के प्राथमिक विद्यालय बिसौणा, सुगड का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

श्री उपाध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 18 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वे सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार कर रहे हैं :–

1.	श्री प्रीतम सिंह पंवार	टिहरी बांध परियोजना निर्माण हेतु जनपद टिहरी और जनपद उत्तरकाशी के ग्रामों की भूमि टिहरी बांध जलाशय व अन्य परियोजना कार्यों हेतु अर्जित करने तथा भूमि की एक समान दर निर्धारण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
2.	श्री गोपाल सिंह रावत	प्रदेश में कुछ साधन सहकारी समितियों के विलीनीकरण (मर्ज) किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3.	श्री राजकुमार ठुकराल	जनपद उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालय रूद्रपुर में किच्छा रोड़ पर स्थित ट्रचिंग ग्राउण्ड (कूड़ाघर) को हटाये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
4.	श्री मनोज रावत	शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2012 के फलस्वरूप दो

		वर्ष की अतिरिक्त सेवा विस्तार दिये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
5.	श्रीमती ममता राकेश	प्रदेश में निवासरत दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
6.	श्री खजान दास	उत्तराखण्ड सदन/निवास में प्रदेश की एवं दिल्ली के चुनाव की आचार संहिता दो बार प्रभावित होने एवं 03 दिन बाद (इस अवधि में) दो गुना किराया लिये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह जीना	अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत बने गोल्डन कार्ड का लाभ नहीं मिल पाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
8.	श्री पूरण सिंह फर्त्याल	जनपद चम्पावत के विकास खण्ड पाटी के पी0एच0सी0 हॉस्पिटल को बी0 ग्रेड से ए0 ग्रेड में किये जाने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
9.	श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	जनपद देहरादून के विधान सभा सहसपुर के वन विभाग क्षेत्र में कैम्पा के अन्तर्गत वर्किंग प्लान के मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
10.	श्री दीवान सिंह विष्ट	स्टेडियम की सुविधा न होने के कारण खिलाड़ियों के असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
11.	श्री बलवन्त सिंह भौर्याल	जनपद बागेश्वर के विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत पण्डित दीन दयाल उपाध्याय विद्युतीकरण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
12.	श्री चन्दन राम दास	टनकपुर–बागेश्वर रेल लाईन व बागेश्वर–कर्णप्रयाग बाया गैरसैंण रेल लाईन का सर्वे के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
13.	श्री महेश सिंह नेगी	विधान सभा द्वाराहाट के अन्तर्गत द्वाराहाट पेयजल (पम्पिंग) योजना का निर्माण न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
14.	डा0 प्रेम सिंह राणा	प्रदेश के उपनल कर्मियों की मांग पूर्ति न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
15.	श्री महेन्द्र भट्ट	जनपद चमोली के दूरस्थ विकास खण्ड जोशीमठ के जूनियर हाईस्कूल हेलंग के उच्चीकरण के बाद भी हाईस्कूल की कक्षाओं को बंद करने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
16.	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के प्राथमिक विद्यालय बिसौणा, सुगड का उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
17.	श्री राम सिंह कैड़ा	जनपद नैनीताल के भीमताल विधान सभा के अन्तर्गत ग्रामीणों के बिजली के बिल अधिक आने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
18.	श्री धन सिंह नेगी	जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा–मसूरी फल पट्टा धारकों को संक्रमणीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में।

(पढ़ी हुई मानी गई।)

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री मनोज रावत, श्री करन माहरा की कुल 03 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री मनोज रावत, श्री करन माहरा की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहे हैं।

जनपद अल्मोड़ा के काफलीगौर मैग्निसाईट फैक्ट्री को बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री करन माहरा ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में यात्री किराया दरों में की गयी अप्रत्याशित वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह पंवार ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री मनोज रावत ने विचार व्यक्त किये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

1. निधन के निदेश।
2. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
3. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
4. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
5. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
6. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
7. वित्तीय वर्ष, 2020–2021 के आय–व्ययक पर चर्चा।
8. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य श्री डा0 प्रेम सिंह राणा की सूचना जो जनपद उधमसिंह नगर के नानकमत्ता विधान सभा के अन्तर्गत नानक सागर बाँध में जल संशोधन संयत्र स्थापित न होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में है को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य श्री धन सिंह नेगी की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र टिहरी के अन्तर्गत एकल ग्रामीण पेयजल योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोधार के लिए धनराशि उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

आज्ञा से,

भराड़ीसैंण :
दिनांक : 06 मार्च, 2020

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

uRFkh&^^x**

foRrh; o"kZ 2019&2020 ds vuqnku ekaxksa esa deh djus ds izLrko

vuqnku la[;k%&05] 07] 08] 18] 20] 26] 13] 17] 24] 30] 31] 28 rFkk 16

izLrkod dk uke	izLrko dk izk:i
1- Mk0 bfUnjk ân;s'k] 2- Jh xksfoUn flag dqatoky] 3- Jh izhre flag] 4- dkth ekS0 futkeqn~nhu] 5- Jh dju ekgjk] 6- Jh gjh'k flag] 7- Jherh eerk jkds'k] 8- Jh vkns'k flag pkSgku] 9- Jh jktdqekj] 10- Jh eukst jkor] 11- gkth Qqjdku vgenA	lEiw.kZ vuqnku ds v/khu ekax dh jkf'k ?kVkdj ,d :i;k dj nh tk;A deh djus dk mn~ns'; foHkkxh; uhfr dh vkykspuk djuk rFkk lq>ko nsukA

<u>dk;Zea=.kk lfefr us viuh fnukad 20 Qjojh] 2019 dh cSBd esa fnukad 21 Qjojh] 2019 ds mios'ku dk dk;Zdze fuEufyf[kr :i esa j[ks tkus dh flQkfj'k dh gS%&</u>

21 Qjojh] 2019

fo/kk;h dk;Z&

1- mRrjk[k.M ¼mRrj izns'k uxj fuxe vf/kfu;e 1959½ ¼la'kks/ku½ fo/ks;d] 2019 dk fopkj ,oa ikj.k ¼**15 feuV**½

¼'ks"k dk;Zdze ;Fkkor jgsxkA½

नियम–53 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं भराडीसैंण, दिनांक 05 मार्च, 2020